



॥ Scholarships ॥

Energising Success

10+ /आई टी आई, इंजीनियरिंग, एम बी बी एस एवं एम बी ए कोर्स के विद्यार्थियों के लिए 450 छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	धारा (Stream)	अवधि जिसके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि	छात्रवृत्तियों की संख्या	अर्हक परीक्षा (Qualifying Examination)	अर्हक परीक्षा (Qualifying Examination) में पात्रता के लिए न्यूनतम अंक			छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह
					सामान्य	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./लड़कियाँ	शा.अ.	
1.	10+ /आई टी आई	2 वर्ष	250	10वीं	65%	60%	50%	1000 रु0
2.	इंजीनियरिंग	4 वर्ष	100	12वीं	65%	60%	50%	2000 रु0
3.	एम बी बी एस	4 वर्ष	40	12वीं	65%	60%	50%	2000 रु0
4.	एम बी ए	2 वर्ष	60	स्नातक	65%	60%	50%	2000 रु0

संकेताक्षर: अ.जा. : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. : अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य : सामान्य वर्ग, शा.अ. : शारीरिक अपंगता (विकलांगता अधिनियम, 1952 के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार न्यूनतम 40% विकलांगता)

10+ /आई टी आई के लिए 250 छात्रवृत्तियों का वितरण निम्नलिखित के अनुसार और स्कूल/कॉलेज/संस्था के स्थान पर आधारित होगा जहाँ प्रवेश, शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में लिया गया हो।

उत्तर	: दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश	: 50
पूर्व	: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल	: 50
पश्चिम	: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा और नगर हवेली का संघ शासित प्रदेश, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश	: 50
दक्षिण	: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पोंडिचेरी	: 50
पूर्वांचल राज्य,	: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान और	: 40
सिक्किम और द्वीप समूह	निकोबार द्वीपसमूह, लक्ष्यद्वीप – मिनिक्कॉय – अमिनिदिवि द्वीप आदि (पूर्व व दक्षिण के अतिरिक्त)	
जम्मू और कश्मीर	: जम्मू और कश्मीर	: 10

200 छात्रवृत्तियाँ इंजीनियरिंग, एम बी बी एस और एम बी ए पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय योग्यता के आधार पर दी जाएंगी। इन तीन छात्रवृत्तियों के लिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण केवल चार क्षेत्र होंगे। जम्मू और कश्मीर उत्तर क्षेत्र में, पूर्वांचल राज्य व सिक्किम पूर्व क्षेत्र में व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप-मिनिक्कॉय-अमिनिदिवि द्वीप दक्षिण क्षेत्र में इंजीनियरिंग, एम.बी.बी.एस. एवं एम.बी.ए. कोर्सों के लिए माने जाएंगे। जो अभ्यर्थी इन तीन व्यवसायिक धाराओं में छात्रवृत्ति के प्रार्थी हैं वह उत्तर/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण क्षेत्र मात्र (जैसा उपयुक्त हो), ही अपने आवेदन पत्र में लिखें।

पात्रता : इन धाराओं में पूर्ण कालिक पाठ्यक्रमों और एम सी आई/ए आई सी टी ई/राज्य शिक्षा बोर्डों/राज्य सरकारों/आई सी एस ई/सी बी एस ई/केन्द्र सरकार/भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में विद्यालय/कॉलेज/संस्था/विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में विद्यार्थी का प्रवेश वास्तव में होना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार/भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त मैनेजमेंट के सभी पूर्ण कालिक दो वर्षीय पाठ्यक्रम (जो एम बी ए के समतुल्य हैं) के विद्यार्थी मैनेजमेंट विषय से संबंधित छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम, एम बी बी एस, एम बी ए और 11वीं कक्षा के साथ-साथ दो वर्षीय आई टी आई पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थायी प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। स्नातकों के लिए सभी शैक्षणिक वर्षों के औसत अंक पात्रता के लिए अंक माने जायेंगे। विभिन्न वर्गों के लिए अंकों की न्यूनतम पात्रता ऊपर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान सभी स्रोतों से पूरे परिवार की कुल संयुक्त आय 1,00,000 रु0 (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्हक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को; जिनके आधार पर विद्यार्थियों को संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त हुआ है; छात्रवृत्ति के लिए आधार माना जाएगा। विभिन्न बोर्डों, विश्वविद्यालयों व संस्थाओं की अंक प्रदान करने की विधियों में समानता लाने हेतु इंजीनियरिंग, एम.बी.बी.एस. व एम.बी.ए. के अभ्यर्थियों के अंकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंक और पारिवारिक आय को चयन का आधार माना जाएगा।

इंडियन ऑयल, इसके संयुक्त उद्यम और इसकी सहायक कंपनियों के साथ-साथ ए बी सी असेसमेंट सर्विसेज के कर्मचारियों के बच्चे आवेदन के पात्र नहीं हैं। आय सीमा : 1.9.2007 को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। 1.9.1977 और 1.9.1992 (दोनों दिनों सहित) के बीच की जन्मतिथि वाले विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं। आरक्षण और छूट : अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष, (केन्द्रीय सरकार की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची वाले मात्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और शारीरिक रूप से अपंग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तक की छूट आयु की ऊपरी सीमा में दी जायेगी। 50% छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक धारा/वर्ग में 25% छात्रवृत्तियाँ महिला विद्यार्थियों के लिए व 10% शारीरिक रूप से अपंग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। केवल राज्यों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची वाले उम्मीदवार जो कि केन्द्रीय सरकार की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में न आते हों वह सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन : शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में अध्ययनरत उम्मीदवार वेबसाइट www.iocl.com पर दिए निर्धारित प्रारूप को आवेदन हेतु डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरना व जमा करना चाहें वह www.epostbag.com पर लॉग ऑन करें। उन्हें डाक द्वारा फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक बार दिए जाने के उपरान्त यह छात्रवृत्तियाँ इंजीनियरिंग व एम बी बी एस हेतु 4 वर्षों तक, एम बी ए हेतु 2 वर्षों तक 2000/- रु. प्रतिमाह की दर से व 10+ व आई टी आई हेतु 2 वर्षों तक 1000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रदान की जायेगी। पाठ्यक्रम की अवधि छात्रवृत्ति की अवधि से किसी भी कारण से कम नहीं होनी चाहिये। विद्यार्थी यदि अगले शैक्षणिक सत्र की कक्षा में उन्नति नहीं कर पाता है तो छात्रवृत्ति निलंबित/स्थगित कर दी जाएगी। यदि विद्यार्थी दूसरी बार अगले शैक्षणिक सत्र की कक्षा में उन्नति नहीं कर पाता है (सम्पूर्ण कोर्स के दौरान लगातार दो बार) तो उसे छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की सूची में से निकाल दिया जायेगा व उसे छात्रवृत्ति मिलनी हमेशा के लिए बन्द हो जायेगी। विद्यार्थी का कार्य कलाप सम्पूर्ण कोर्स के दौरान सन्तोषजनक होना चाहिए। उसके कार्यकलाप की समीक्षा स्कूल/कॉलेज/संस्था/विश्वविद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष/निदेशक के द्वारा की जायेगी। एक-एक सर्वश्रेष्ठ अंतिम वर्षीय इंजीनियरिंग, डॉक्टरी व प्रबंधन पाठ्यक्रम के विद्यार्थी (जिन्हें अपने विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त होगा) व बारहवीं या आई टी आई पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों (जिन्हें अपने बोर्ड में प्रथम दस स्थानों में स्थान प्राप्त होगा) को रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का बोनस पारितोषिक प्रति विद्यार्थी की दर से इंडियन ऑयल पेट्रोलियम प्रबंध संस्थान, गुडगांव, के वार्षिक समारोह के दौरान प्रदान किया जायेगा। इस वार्षिक समारोह के लिए इन विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें उनके लिए यात्रा भत्ता, ठहरने व खाने का इंतजाम इंडियन ऑयल पेट्रोलियम प्रबंध संस्थान/इंडियन ऑयल द्वारा किया जायेगा। इस छात्रवृत्ति के धारक किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त होता है तो विद्यार्थी किसी एक छात्रवृत्ति के विकल्प का चुनाव कर सकता/सकती है और तदनुसार छात्रवृत्ति वितरित करने वाले अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी किसी अन्य छात्रवृत्ति का चुनाव करता/करती है तो उसे जिस दौरान इंडियन ऑयल की छात्रवृत्ति मिलती रही है उस सम्पूर्ण काल की छात्रवृत्ति राशि को वापस लौटाना होगा। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को किसी भी समय/चरण पर नौकरी/व्यावसायिक/गर्मियों की ट्रेनिंग देने का किसी प्रकार का भी दायित्व इंडियन ऑयल का नहीं होगा। इंडियन ऑयल को किसी भी चरण में बिना किसी कारण बताये आवेदन पत्र या छात्रवृत्ति को रद्द करने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

सामान्य सूचना : 30 सितम्बर, 2007 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा व इस विषय पर कोई पत्राचार भी नहीं किया जायेगा। केवल ए-4 साइज के आवेदन प्रारूप (बिना किसी प्रमाण पत्र/संलग्न पत्र के) का प्रयोग करें व भेजें। इंडियन ऑयल किसी भी प्रकार की डाक की देरी/डाक के खोने के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा व इस बारे में किसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र को निरस्त किया जायेगा। किसी भी विवाद के लिए न्यायालय की परिसीमा दिल्ली ही होगी। चुने गये प्रत्याशियों को डाक द्वारा, अपना जाति प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/अंकतालिका/पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी/सिविल प्राधिकारी से विधिवत प्रमाणित करवाकर भेजने के लिए अलग से कहा जायेगा, ताकि उनके पत्रों/प्रपत्रों की पुष्टि कर अंतिम छात्रवृत्ति की चयनित सूची तैयार की जा सके। उम्मीदवार द्वारा आवेदन के समय दी गई कोई भी सूचना जैसे कि अंक, आय या कोई भी अन्य सूचना, यदि पुष्टिकरण के समय असत्य पाई जाती है तो ऐसे उम्मीदवार की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। छात्रवृत्ति के चयन हेतु इंडियन ऑयल का निर्णय ही अंतिम होगा व चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अंतिम तिथि : जो उम्मीदवार ऑन लाइन प्रार्थना पत्र न जमा कर पायें उनका ए-4 साइज के आवेदन प्रारूप पर पूरी तरह से भरा आवेदन पत्र (बिना मार्कशीट/प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी कागजात के) 30 सितम्बर, 2007 तक योजना प्रशासक; ए बी सी असेसमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, पोस्ट बैग सं. 007, श्रीनिवास पुरी पोस्ट ऑफिस, नई दिल्ली-110 065 के पास पहुंच जाना चाहिए।

कोड लिस्ट I	
क्षेत्र/एरिया जहां पढ़ रहे हैं	कोड
उत्तर	01
पूर्व	02
पश्चिम	03
दक्षिण	04
पूर्वांचल राज्य/सिक्किम/अंडमान व निकोबार	
द्वीप समूह-लक्ष्यद्वीप-मिनिक्कॉय-अमिनिदिवि द्वीप आदि	05
जम्मू व कश्मीर	06

कोड लिस्ट II	
धारा (STREAM)	कोड
इंजीनियरिंग	21
एम बी बी एस	22
एम बी ए	23
10+	24
आई टी आई	25

कोड लिस्ट III	
कैटेगरी	कोड
सामान्य	GN
अ पि व	BC
अ जा	SC
अ ज जा	ST

कोड लिस्ट IV					
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां वर्तमान विद्यालय/कॉलेज/इंस्टीट्यूट/यूनिवर्सिटी उपस्थित है					
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड
आंध्र प्रदेश	41	कर्नाटक	53	तमिलनाडु	65
अरुणाचल प्रदेश	42	केरल	54	त्रिपुरा	66
असम	43	मध्य प्रदेश	55	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67
बिहार	44	महाराष्ट्र	56	उत्तराखण्ड	68
छत्तीसगढ़	45	मणिपुर	57	उत्तर प्रदेश	69
दिल्ली	46	मेघालय	58	चंडीगढ़	70
गोवा	47	मिजोरम	59	दादरा और नगर हवेली	71
गुजरात	48	नागालैंड	60	दमन और दीव	72
हरियाणा	49	उड़ीसा	61	पोंडिचेरी	73
हिमाचल प्रदेश	50	पंजाब	62	लक्ष्यद्वीप: मिनिक्कॉय-	
जम्मू और कश्मीर	51	राजस्थान	63	अमिनिदिवि द्वीप	74
झारखंड	52	सिक्किम	64	पश्चिम बंगाल	75



Indian Oil Corporation Ltd.

Bringing Energy to Life